संख्या-02/2023/205(1)/001-83-1002-002-1-2022

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17.03.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के लेखाशीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रू0 2740.96 लाख (रू0 सत्ताईस करोड़ चालीस लाख छियानबे हजार मात्र) में से रू0 2662.06 लाख अर्थात रू0 26,62,06,000/- (रू0 छब्बीस करोड़ बासठ लाख छः हजार मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निदेशक,नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अतः यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए किया जाय।

(4) प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) (प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	5,20,000 (रूपये पॉच लाख बीस हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	6,19,000 (रूपये छह लाख उन्नीस हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	90,000 (रूपये नब्बे हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	027	2070001060301 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
9	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
10	027	2070001060301 सामान्य	51 वर्दी व्यय	1,000 (रूपये एक हजार मात्र)
11	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	30,000 (रूपये तीस हजार मात्र)
	कुल			**16,20,000 (रूपये सोलह लाख बीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप	01 वेतन	1,80,08,000 (रूपये एक करोड़ अस्सी लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत		आठ हजार मात्र)
2	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	03 मंहगाई भत्ता	81,04,000 (रूपये इक्यासी लाख चार हजार मात्र)
3	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	04 यात्रा व्यय	2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)
4	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,50,000 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)
5	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
6	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	07 मानदेय	5,000 (रूपये पॉच हजार मात्र)
7	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
8	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
9	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
10	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की	7,00,000 (रूपये सात लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		25 प्रतिशत	खरीद	
12	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	42 अन्य व्यय	30,000 (रूपये तीस हजार मात्र)
13	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
14	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
15	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र)
16	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	51 वर्दी व्यय	10,000 (रूपये दस हजार मात्र)
17	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	55 मकान किराया भत्ता	26,51,000 (रूपये छब्बीस लाख इक्यावन हजार मात्र)
18	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**4,15,28,000** **(रूपये चार करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठाईस हजार मात्र)**

लेखाशीर्षः2070001060501 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	027	2070001060501 (सामान्य)	01 वेतन	13,50,54,000 (रुपये तेरह करोड़ पचास लाख चौवन हजार मात्र)
2	027	2070001060501 (सामान्य)	02 मजदूरी	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	027	2070001060501 (सामान्य)	03 मंहगाई भत्ता	6,07,74,000 (रुपये छह करोड़ सात लाख चौहत्तर हजार मात्र)
4	027	2070001060501 (सामान्य)	04 यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	027	2070001060501 (सामान्य)	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
6	027	2070001060501 (सामान्य)	07 मानदेय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
7	027	2070001060501 (सामान्य)	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
8	027	2070001060501 (सामान्य)	09 विद्युत देय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
9	027	2070001060501 (सामान्य)	10 जलकर/जल प्रभार	1,20,000 (रुपये एक लाख बीस हजार मात्र)
10	027	2070001060501 (सामान्य)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	027	2070001060501 (सामान्य)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	027	2070001060501 (सामान्य)	13 टेलीफोन पर व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
13	027	2070001060501 (सामान्य)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
14	027	2070001060501 (सामान्य)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	027	2070001060501 (सामान्य)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
16	027	2070001060501 (सामान्य)	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
17	027	2070001060501 (सामान्य)	29 अनुरक्षण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	027	2070001060501 (सामान्य)	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	027	2070001060501 (सामान्य)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	027	2070001060501 (सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	027	2070001060501 (सामान्य)	46 कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
22	027	2070001060501 (सामान्य)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
23	027	2070001060501 (सामान्य)	49 चिकित्सा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
24	027	2070001060501 (सामान्य)	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
25	027	2070001060501 (सामान्य)	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
26	027	2070001060501 (सामान्य)	55 मकान किराया भत्ता	82,00,000 (रुपये बयासी लाख मात्र)
	कुल			**22,30,58,000** **(रुपये बाईस करोड़ तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र)**
महायोग				**26,62,06,000** **(रुपये छब्बीस करोड़ बासठ लाख छह हजार मात्र)**

के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
रजनीश गुप्ता
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-02/2023/205(1)/001-83-1002-002-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
बृजेन्द्र सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in